फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट, जिला दौसा

किस्म मुकदमा (फर्द अहकाम नियम 26 फार्म 111)

हुक्म तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **लल्लू व अन्य बनाम गंगा व अन्य** **किस्म मुकदमाः– अपील नामा0** **प्रकरण संख्याः– 10/2025**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
17/12/2025	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। रेस्पो0 सं0 1 लगा0 2 की ओर से प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति इस आशय का पेश किया गया कि प्रश्नगत नामा0 न्यायालय एस0डी0ओ0 लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2025 का पारिणामिक अनुतोष है जिसकी पालना में ही तहसीलदार लालसोट द्वारा प्रश्नगत नामा0 स्वीकृत किया गया है व सक्षम न्यायालय की डिक्री व निर्णय की पालना में पारित नामा0 के विरूद्ध शीर्षक अपील मेन्टिनेबल नही है। अपीलान्टस द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 28.01.2025 की अपील भी अपीलीय न्यायालय में कर रखी है तथा कानूनन जब तक निर्णय व डिक्री अस्तित्व में है तब तक प्रश्नगत नामा0 को आक्षेपित नही किया जा सकता है। रेस्पो0 सं0 1 लगा0 2 द्वारा इस प्रकार प्रा0प0 प्रार0 आप0 पेश करते हुए शीर्षक अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाने का निवेदन किया है। अपीलांटस लल्लू आदि की ओर से जवाब प्रारंभिक आपत्ति पेश करते हुए कथन किए है कि नामांतरण अपीलांट को बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये तस्दीक किया है तथा प्रकरण की अपील सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होते हुए नामांतरण जैसी कार्यवाही नहीं हो सकती है। इस प्रकार जवाब पेश करते हुए अपीलांट ने प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति खारिज फरमाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आप0 पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपने प्रा0प0 प्रार0 आप0 के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि प्रश्नगत नामा0 सं0 427 दिनांक 07.03.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2025 की पालना में भरा गया है। अतः उक्त नामांतरण डिक्री दिनांक 29.01.2025 का पारिणामिक अनुतोष है। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2025 की अपील मा0 न्याया0 आरएए, जयपुर के समक्ष दिनांक 24.02.2025 को पेश की जा चुकी है तथा अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन अपील का निर्णय आने से पहले नामा0 की सुनवाई नहीं की जा सकती है। विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि नामांतरण खारिज हो भी जाए तो भी डिक्री खारिज नही होगी। इस प्रकार कथन करते हुए अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपील को चलते योग्य नही होना करार देते हुए प्रा0प0 स्वीकार कर अपील को इसी स्तर पर खारिज फरमाने का निवेदन किया। अधिवक्ता रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैः– Citation – 2018(3) CJ (Civ.) (Raj.) JDA vs. Board Of Rev., Ajmer & Anr. पेज नं0 1563 उक्त न्यायिक दृष्टांत में मा0 न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि	

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

"राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956–धारा–135– राज0 काश्तकारी अधि0, 1955–धारा 88 व 188– राजस्व वाद में पारित की गयी डिक्री के आधार पर प्रत्यर्थियों के पक्ष में नामान्तरकरण प्रविष्टि– अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त द्वारा इस आधार पर अपास्त की गयी कि भूमि आवासीय विकास हेतु प्रार्थी जेडीए को आवंटित की जा चुकी थीं– राजस्व मण्डल द्वारा आदेश अपास्त किया गया– यह रिट याचिका– प्रार्थी का यह अभिवाक् कि वह वाद में पक्षकार नहीं था– अभिवाक् नकारा क्यों कि राजस्थान सरकार द्वारा भूमि को सेट अपार्ट करने का आदेश राजस्व वाद में अंतिम रूप से न्याय निर्णीत किया जा चुका है तथा प्रार्थी राजस्थान सरकार के पैरों में आया– राजस्व वाद में पारित किये गये आदेश ने अन्तिमता प्राप्त की– निर्धारित, राजस्व मण्डल ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त का आदेश सही अपास्त किया।"

Citation – 2025(1) CJ(Civ.)(SC) पेज नं0 154 पैरा 36 व 47(I)

उक्त न्यायिक दृष्टांत में मान0 न्याया0 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 2, नियम 2– प्रावधान का प्रयोजन– आदेश 2, नियम 2 का प्रयोजन वादों की बहुलता को रोकना है तथा प्रावधान इस सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी व्यक्ति को एक ही तथा समान वादकरण के आधार पर दो बार परेशान नहीं किया जाना चाहिये।"

Citation – 2025(1) CJ(Civ.)(SC) पेज नं0 154 पैरा 36 व 47(II)

उक्त न्यायिक दृष्टांत में मान0 न्याया0 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908–आदेश 2, नियम 2– आदेश 2, नियम 2 की आज्ञापना किसी वाद में एक तथा समान वादकरण के संबंध में सभी दावों को सम्मिलित किये जाने की है– इसका आशय यह नहीं समझा जाना चाहिये कि समान संव्यवहार से उत्पन्न भिन्न–भिन्न वादकरणों को एक ही वाद में सम्मिलित किया जाय।"

अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी जवाब बहस में जवाब प्रा0प0 प्रार0 आप0 के तथ्यों को दोहराते हुए प्रा0प0 प्रार0 आप0 को खारिज कर गुणावगुण के आधार पर अपील निस्तारित फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता अपीलांटस ने अपनी बहस के समर्थन निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये हैः–

न्यायिक दृष्टांत आरबीजे(8)2001 पेज नं. 174 Kala Singh Vs. State of Rajasthan

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 – SECTION 80 – Court can not dismiss the appeal at admission stage without calling the record from lower court – As per Section 80 of the Rajasthan Land Revenue Act the court cannot dismiss the appeal at admission stage without calling the record from lower court. Therefore Board of Revenue held that court should call the record before admission of appeal and after perusing the record, the court should pass appropriate orders. Special appeal Accepted."

न्यायिक दृष्टांत आरबीजे (13) 2006 पेज नं0 366

उक्त न्यायिक दृष्टांत में मान0 न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "RAJASTHAN LAND REVENUE ACT, 1956 – Section 135 – Mutation – When regular suit is pending in competent court, summary proceedings should be stayed – In this case, regular suit between the applicants and non-applicants is pending in civil and revenue court. In

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

is established principle of law that where regular suit is pending in competent court the summary proceedings of mutation should be stayed. Because in regular suit, the rights of the parties are decided after taking evidence of both the parties. Reference dismissed"

हमने पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गौरपूर्वक अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्षो द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति पर विद्वान अधिवक्ता उभयपक्षों की बहस पर गौर फरमाया। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामा0 सं0 427 दिनांक 07.03.25 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लालसोट द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.01.2025 की पालना में खोला गया है जिसका श्रवणाधिकार इस न्यायालय को नहीं है। यदि अपीलांटस न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना में खोले गये नामांतरण से असंतुष्ट है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष वाद/अपील प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील का श्रवणाधिकार इस न्यायालय में निहित नहीं होने के कारण रेस्पो0 सं0 1 लगा0 2 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रारंभिक आपत्ति स्वीकार किया जाकर अपीलांटस की अपील सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर अस्वीकार कर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)